

## राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखलि भारतीय सम्मेलन

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

### चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखलि भारतीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें जल प्रबंधन के मुद्दों के लिये कई पहलों का सुझाव दिया गया।

इस सम्मेलन का विषय था "इंडिया@2047 - एक जल सुरक्षित राष्ट्र"।

नोट: भोपाल में आयोजित राज्य के जल मंत्रियों का पहला अखलि भारतीय सम्मेलन (जनवरी 2023) पाँच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात जल सुरक्षा, जल उपयोग दक्षता, शासन, जलवायु अनुकूलन और जल गुणवत्ता पर केंद्रित था।

### राज्य के जल मंत्रियों के दूसरे अखलि भारतीय सम्मेलन में शामिल की गई प्रमुख पहल क्या हैं?

- **कृषिजल प्रबंधन:** **ड्रिपि और सप्रकिलर सचिाई** जैसी सूक्ष्म सचिाई तकनीकों को अपनाना, **प्रेसराइज़ सचिाई नेटवर्क (PIN)** का वसितार करना, कृषि में **जल दक्षता** में सुधार के लिये **इवैपोट्रांसपाइरेशन (ET) आधारित सचिाई** प्रणाली का मूल्यांकन करना।
  - ET से मृदा वाष्पीकरण और पौधों के वाष्पोत्सर्जन को संयोजित कर यह आकलन किया जाता है कि फिसलों को इष्टतम विकास के लिये पर्याप्त जल प्राप्त हो रहा है या नहीं।
- **नदी का नवोन्मेषण:** **बाढ़ से प्रभावित मैदानों के क्षेत्रीकरण** करने, नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिये **झरनों** जैसे जल स्रोतों का नवोन्मेषण करने, तथा जल उपभोग के परिमिणीकरण को बढ़ावा देने से **नदी नवोन्मेषण परियोजनाओं** को बढ़ावा मिल सकता है।
- **पेयजल आपूर्ति में सुधार:** **ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC)** के माध्यम से **जल जीवन मशिन (JJM)** को बनाए रखना।
  - अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिये **स्वच्छ भारत मशिन 2.0** के अंतर्गत **गरे वाटर प्रबंधन** को बढ़ावा देते हुए जल आपूर्ति बुनियादी ढाँचे में सुधार कर **AMRUT** के माध्यम से **शहरी जल सुरक्षा** का वर्द्धन करना।
- **जल भंडारण में सुधार:** जल भंडारण प्रणालियों के वसितार, **नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ERM)** को प्राथमिकता देना ताकि **दक्षता और जीवनकाल को अधिकतम तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों** में उपलब्धता बढ़ाने के लिये छोटे जल नकियों को बहाल किया जा सके।
  - जल भंडारण और वितरण के बेहतर प्रबंधन के लिये **स्वचालित जलाशय संचालन** को लागू करना।
- **जल प्रशासन को सुदृढ़ बनाना:** राज्य-वशिष्ट समाधानों के साथ **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)** को लागू करना और जल प्रशासन में **जमीनी स्तर पर भागीदारी** को मज़बूत करना।
  - **समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों** को बढ़ावा देने के लिये देश भर में '**जल संचय जनभागीदारी**' पहल को बढ़ावा देना।

# जल जीवन मिशन (हर घर जल)

शुरुआत:

15 अगस्त, 2019



## उद्देश्य:

- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना।

## क्रियान्वयन:

- जलशक्ति मंत्रालय: नोडल मंत्रालय
- पानी समितियाँ: गाँव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और रख-रखाव करना।
  - सदस्य: 10-15 (कम-से-कम 50% प्रतिशत महिलाएँ)

- गोवा तथा दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव (D-NH and D-D) देश में क्रमशः पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं।

## वित्तीयन प्रतिरूप:

- केंद्र प्रायोजित योजना
  - केंद्र : हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्य- 90:10
  - केंद्र : अन्य राज्य - 50:50
  - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र द्वारा

## प्रमुख घटक:

- बॉटम-अप प्लानिंग
- महिला सशक्तीकरण
- भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- धूसर जल का प्रबंधन
- स्रोत की संधारणीयता



दृष्टि अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न: स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये क्या पहल की जा सकती है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न: जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (2020)

प्रश्न: जल तनाव (Water Stress) क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र पर यह कैसे और क्यों भिन्न है? (2019)